

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022-23/144

दिनांक: 17.10.2022

## विज्ञापित

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक: प17(50) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 02.09.2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फ़ैकल्टी" के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

### (1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ-

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
I	ब्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
II	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
III	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IV	अध्यापक लेवल-1	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
V	प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VI	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

### नोट:-

- गेस्ट फ़ैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवा निवृत्त शिक्षक गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु, अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

247